

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 --:: मंत्रालय ::--
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
 :: विज्ञापन ::

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01 अगस्त, 2022

जिला उपभोक्ता आयोगों में सदस्य के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

2. जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य के पद की रिक्तियों का विवरण

क्रमांक	जिला उपभोक्ता आयोग	अनारक्षित सदस्य	महिला सदस्य
01.	दुर्ग	0	01
02.	बेमेतरा	01	01
03.	बलरामपुर-रामानुजगंज	0	01
04.	गरियाबंद	0	01
05.	कांकेर	01	01
06.	बीजापुर	01	01
07.	सुकमा	01	01
08.	रायपुर	01	01
09.	रायगढ़	01	01
10.	कबीरधाम	0	01
11.	कोरबा	01	01
12.	जांजगीर-चांपा	01	0
13.	दंतेवाड़ा	01	0
	कुल	09	11

आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 02.09.2022

- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्य पद के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के साथ 500 रु (पांच सौ रुपये) का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो **रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर** के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जावेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर **रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पंडरी, रायपुर पिन नंबर 492001** को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा दिनांक 02.09.2022 को कार्यालयीन समय तक सीधे प्रेषित किया जायेगा।
- अभ्यर्थी विज्ञापन का विस्तृत विवरण, आवेदन का प्रारूप, नियुक्ति हेतु अर्हता, नियुक्ति की प्रक्रिया एवं वेतन-भत्ते, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर की वेबसाईट <http://cgscdrc.cg.nic.in> एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाईट <http://khadya.cg.nic.in> तथा जनसंपर्क विभाग की वेबसाईट <http://jansampark.cg.gov.in> से प्राप्त कर सकते हैं।

(अमितोष जॉन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
—:: मंत्रालय ::—

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

:: विज्ञापन ::

विज्ञापन संख्या एफ 5-9/2021/29-2, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक अगस्त. 2022

छ. ग. राज्य के निम्नलिखित जिला उपभोक्ता आयोगों में उनके सम्मुख अंकित सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

2. जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य के पद की रिक्तियों का विवरण

क्रमांक	जिला उपभोक्ता आयोग	अनारक्षित सदस्य	महिला सदस्य
01.	दुर्ग	0	01
02.	बेमेतरा	01	01
03.	बलरामपुर-रामानुजगंज	0	01
04.	गरियाबंद	0	01
05.	कांकेर	01	01
06.	बीजापुर	01	01
07.	सुकमा	01	01
08.	रायपुर	01	01
09.	रायगढ़	01	01
10.	कबीरधाम	0	01
11.	कोरबा	01	01
12.	जांजगीर चांपा	01	0
13.	दन्तेवाड़ा	01	0
	कुल	09	11

(टीप:- 31 दिसम्बर 2022 तक रिक्त होने वाले पद सम्मिलित है।)

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 08 फरवरी 2021 द्वारा अंगीकृत छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के कंडिका क्रमांक 6.6 के प्रावधान के सदर्थ में निम्नलिखित बिन्दुओं में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने वाले एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 02.09.2022 कार्यालयीन समय तक होगी।



1. जिला आयोग के सदस्य पद हेतु प्रक्रिया –

2.1 अर्हता –

- क) आवेदक की न्यूनतम आयु पैंतीस (35) वर्ष होना चाहिए।
- ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो और
- ग) क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव रखता हो।

जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य की नियुक्ति के लिये अनर्हता–

कोई व्यक्ति राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह होगा यदि वह –

1. ऐसे किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो, अथवा
 2. दिवालिया घोषित किया गया हो, अथवा
 3. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो, अथवा
 4. राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणधीन किसी निकाय कार्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो, अथवा
 5. राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यों के वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।
- (4) **वेतन-भत्ते-** राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 08.02.2021 द्वारा अंगीकृत जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम-2020 की कंडिका 03 में प्रावधान अनुसार होगा ।
- (5) **नियुक्ति की प्रक्रिया:-** छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के कंडिका क्रमांक 6 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा ।
- (6) **कार्यकाल:-** जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य का कार्यकाल 04 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर रहेंगे ।




- (7) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ 500 रु (पांच सौ रुपये) का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर के पक्ष में देय हो संलग्न किया जावेगा।
- (8) अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पंडरी बस स्टैण्ड के पीछे रायपुर पिन नंबर-492001 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा दिनांक 02.09.2022 को कार्यालयीन समय तक सीधे प्रेषित किया जायेगा।
- (9) अभ्यर्थी विज्ञापन का विस्तृत विवरण, आवेदन का प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर की वेबसाईट <http://cgscdrc.cg.nic.in> एवं छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग के वेबसाईट <http://khadya.cg.nic.in> प्राप्त कर सकते हैं।
- (10) अभ्यर्थी उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, अनर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम-2020 के संबंध में विस्तृत विवरण छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर की वेबसाईट <http://cgscdrc.cg.nic.in> से प्राप्त कर सकते हैं।
- (11) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे ।
1. आयु के समर्थन में हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो;
 2. शैक्षणिक योग्यता हेतु स्नातक की अंकसूची;
 3. कार्यक्षेत्र के ज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र में नियम में निर्धारित वर्षों के कार्य अनुभव के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र;
 4. यदि विधि व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य का अनुभव उल्लेखित किया जाता है तो ऐसा प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने की तिथि के पश्चात् जिला विधिक प्राधिकरण अथवा जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश द्वारा अधिकृत न्यायाधीश द्वारा जारी होना चाहिए ऐसा प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के तीन माह पूर्व का होने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा;
 5. यदि सामाजिक क्षेत्र में कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है तो ऐसी संस्था पंजीकृत होना चाहिए तथा उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकीय, लोकस्वास्थ्य अथवा औषधि में संबंधित पदों के लिये निर्धारित अवधि तक कार्यरत हो;

me.

6. कार्य का अनुभव जिस क्षेत्र में है उसका प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था द्वारा कार्य का अनुभव एवं अवधि स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है;
7. यदि पूर्व में सेवारत हैं तो अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र;
8. आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि को सेवा में होने पर नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र
9. निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट

- (12) राज्य शासन द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति किसी भी जिला उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में दर्शित जिलों में से एक या एक से अधिक जिलों में रिक्त पदों के लिये आवेदन में प्राथमिकता के आधार पर विकल्प दिया जा सकेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा सीमित मात्रा में विकल्प दिये गये हैं और उन दिये गये विकल्पों में से किसी स्थान पर प्राथमिकता क्रम में नियुक्त किये जाने हेतु वह चयनित नहीं होता तो शेष जिलों, जिन्हें उसने विकल्प में नहीं चुना है, के लिये उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा चाहे वह वरीयता सूची में किसी भी स्थान पर हो। उपरोक्त संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।
- (13) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होने, अपूर्ण होने या इस विज्ञापन की तिथि के पूर्व अथवा विज्ञापन में आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

टीप— उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, अनर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम 10 के अनुसार जिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 04 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा तथा 65 वर्ष की आयु के अध्यक्षीन 04 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।


 (मनोज कुमार सोनी) 29/10
 विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

जिला उपभोक्ता आयोगों में अनारक्षित एवं महिला सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या एफ

दिनांक / / 2022

1. आवेदित पद का नाम
2. आवेदित जिला उपभोक्ता आयोग का नाम
3. अभ्यर्थी का नाम
- (क) हिन्दी में
- (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में
4. पिता/पति का नाम
- (क) हिन्दी में.....
- (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में.....
5. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित)–.....वर्ष.....माह.....दिन
- (ख) विज्ञापन की तिथि को आयु –.....वर्ष.....माह
1. (क) शैक्षणिक योग्यता (आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी सभी अंकपत्र, प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा)
-
-
- (ख) विशेष योग्यता (यदि कोई हो तो उसका अंकपत्र, प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा)
-
-
6. (क) क्षेत्र जिसमें कार्य का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव रखते हैं, का ब्यौरा.....
-(उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 15 वर्ष का अनुभव)
- (ख) कितने वर्ष का अनुभव रखते हैं। (समुचित प्रमाण पत्र/साक्ष्य सहित)
-
-
7. (क) स्थायी पता.....
-

अभ्यर्थी अपनी
अद्यतन
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकायें।

- (ख) पत्र व्यवहार का पता.....

 (ग) ईमेल आईडी.....
 (ग) गृह जिला.....
 8. (क) वर्तमान व्यवसाय.....

 (ख) पूर्व सेवा/व्यवसाय के अनुभव का विवरण, यदि कोई हो (प्रमाण पत्र सहित)

 9. श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति)

 (आरक्षित वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये)
 10. अभ्यर्थी के पिता तथा पति/पत्नी के व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण
 (क) पिता.....
 (ख) पति/पत्नी.....
 11. यदि अभ्यर्थी का निकट संबंधी राज्य उपभोक्ता विवाद, प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य के पद पर कार्यरत है, तो उसका उल्लेख करें।

 12. अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पंडरी बस स्टैण्ड के पीछे रायपुर पिन नंबर-492001 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सीधे प्रेषित किया जायेगा। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
 13.. अन्य विवरण, यदि कोई हो.....
 14.. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण

तिथि.....
 स्थान.....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....
 अभ्यर्थी का नाम.....

घोषणा पत्र

मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि –
(1) मैंने विज्ञप्ति में की गई पात्रता की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ, वह मुझे मान्य है और वे शर्तें मैं पूरी करता/करती हूँ। (2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंने इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पाये जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....